न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 58/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

अनिल बिश्नोई पुत्र श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
— वादी

बनाम्

1. अमरचन्द पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाष जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. पुष्पा पुत्री श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. विमला देवी पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. सोमा देवी पत्नी स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई नि. संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. सुमन पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. सन्तोष पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. अल्का पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. शोभा देवी पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. अनिकेत पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. निशा पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

उपस्थित — 1. श्री महावीर बैरड़ एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 12)

निर्णय

दिनांकः— 25.2.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. प्रथम के खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में 1.910 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.955 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 12 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 12 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है वादी अनिल बिश्नोई पुत्र श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. प्रथम के खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में 1.910 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.955 है. कृषि भूमि। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित

कलक्टर एवं
ड अधिकारी
संगरिया

कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2, 10 ता 12 को मृतक विनोद कुमार एवं शान्ति देवी के विधिक वारिसान होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 13 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 13 के विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. प्रथम के खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.910 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.955 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 13 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 3 आरटीपी खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 1

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 3 आरटीपी खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 3 आरटीपी खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी प्रदर्श करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादीगण के नाम है जो पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

...लक्टर एव
...अधिकारी
...रिया

...तहसीलदार ... अधिकारी ... गरिया जिला हनुमानगढ़

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. प्रथम के खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.910 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.955 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 58/2026

अनिल बिश्नोई पुत्र श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
– वादी

बनाम्

1. अमरचन्द पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाष जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. पुष्पा पुत्री श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. विमला देवी पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. सोमा देवी पत्नी स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई नि. संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. सुमन पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. सन्तोष पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. अल्का पुत्री स्व. श्री बलवन्त जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. शोभा देवी पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. अनिकेत पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. निशा पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई नि.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 12 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. प्रथम के खाता सं. 22/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.910 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.955 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 एवं मृतक विनोद कुमार एवं मृतका शान्ति देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.2.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया